बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

!!अधिसूचना!!

3/सी0एस0/एम0(मं0नि0)–02/2014............../ पटना–15, दिनांक–..............2025

बिहार के मंत्री (वेतन एवं भत्ते) अधिनियम–2006 की धारा–4 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, बिहार के मंत्री (वेतन एवं भत्ते) नियमावली–2006 (समय–समय पर यथा संशोधित) का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

01. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ (i) यह नियमावली बिहार के मंत्री (वेतन एवं भत्ते) (संशोधन) नियमावली, 2025 कही जा सकेगी।

(ii) यह नियमावली तुरंत प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

02. बिहार के माननीय राज्य मंत्री एवं उप मंत्री के लिए अनुमान्य वेतन एवं भत्तों में निम्नलिखित रूप से संशोधन किया जाता है :–

(i) नियमावली के नियम–4 मंत्रियों का वेतन अन्तर्गत कंडिका (क) में निम्नांकित वाक्य जोड़ा जाता है :–

"राज्य मंत्री एवं उप मंत्री को भी रू0 65,000/– प्रतिमाह वेतन अनुमान्य होगा"

(ii) नियमावली के नियम–5 में प्रावधानित क्षेत्रीय भत्ता अन्तर्गत निम्नांकित वाक्य जोड़ा जाता है :–

"राज्य मंत्री एवं उप मंत्री भी रू0 70,000/– प्रतिमाह क्षेत्रीय भत्ता पाने के हकदार होंगे"

(iii) नियमावली के नियम–5(क) में प्रावधानित दैनिक भत्ता अन्तर्गत निम्नांकित वाक्य जोड़ा जाता है :–

"राज्य मंत्री एवं उप मंत्री को भी दैनिक भत्ता रू0 3,000/– (तीन हजार) प्रतिदिन से बढ़ाकर रू0 3,500/– (तीन हजार पाँच सौ) प्रतिदिन की दर से निर्धारित की जाती है"

(iv) नियमावली के नियम–6 में प्रावधानित आतिथ्य भत्ता अंतर्गत निम्नांकित अंश जोड़ा जाता है :–

क्र0	पदनाम	वर्त्तमान प्रावधान प्रतिमाह	प्रस्तावित प्रावधान प्रतिमाह
1	राज्य मंत्री	रू0 24,000/–	रू0 29,500/–
2	उप मंत्री	रू0 23,500/–	रू0 29,000/–

(v) नियमावली के नियम–9 में प्रावधानित सरकारी कर्त्तव्य के लिए अनुमान्य यात्रा भत्ता अन्तर्गत निम्नांकित वाक्य जोड़ा जाता है :–

"राज्य मंत्री एवं उप मंत्री भी यात्रा भत्ता 15 रू0 प्रति किलोमीटर के स्थान पर 25 रू0 प्रति किलोमीटर के दर से पाने के हकदार होंगे"

03. उक्त नियमावली, 2006 की शेष कंडिकाएँ यथावत रहेंगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

(डॉ0 एस0 सिद्धार्थ)

अपर मुख्य सचिव

F:\Kamlesh\Sanleakh.doc

ज्ञापांक :–3/सी0एस0/एम0(मं0नि0)–02/2014 ..../ पटना–15, दिनांक–.............., 2025
प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(डॉ0 एस0 सिद्धार्थ)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :–3/सी0एस0/एम0(मं0नि0)–02/2014 ..../ पटना–15, दिनांक–.............., 2025
प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन / विकास भवन / विश्वेश्वरैया भवन / मंत्रिपरिषद् लेखा (पाँच प्रतियों में) / मुख्यमंत्री के आप्त सचिव / सभी मंत्रीगण के आप्त सचिवों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(डॉ0 एस0 सिद्धार्थ)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :–3/सी0एस0/एम0(मं0नि0)–02/2014 ...438.../ पटना–15, दिनांक–15/04/2025
प्रतिलिपि :– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित। आई0 टी0 मैनेजर, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

15/4/2025
(डॉ0 एस0 सिद्धार्थ)
अपर मुख्य सचिव

F:\Kamlesh\Sanleakh.doc